

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES,
GNCT OF DELHI, OLD COURT BUILDING, PARLIAMENT STREET
NEW DELHI-110001

एफ.डीआरसीएस/आरटीआई अपील/यू/एस-19/765/2024-25/ 176

दिनांक: 13/12/2024

आदेश

जबकि दिनांक 08/04/2024 को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत श्री जनक लाल साहू निवासी एफ-2/78, सुंदर नगरी दिल्ली-110093 द्वारा आवेदन दायर किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित की गई समयावधि के रामाप्त हो जाने के बावजूद, लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। तदनुसार, उन्होंने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की।

दिनांक 14/05/2024 की अपील का निपटारा निम्नानुसार किया जाता है:-

सूचना अधिकारी /सहायक पंजीयक(बैंकिंग शाखा), को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर अपीलकर्ता को आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करें। इसके अलावा, यदि आवेदक चाहे तो उसे अपने आवेदन से संबंधित उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए पीआईओ के कार्यालय में जाने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जानकारी की प्रतियां प्राप्त की जा सकें।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार, अपीलकर्ता इस आदेश के जारी होने के 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् केंद्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली -110067 के समक्ष अपील, यदि कोई हो, दायर कर सकता है।

(प्रदीप कुमार)

उप रजिस्ट्रार/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

दिनांक:

एफ.डीआरसीएस/आरटीआई अपील/यू/एस-19/765/2024-25/

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सूचना अधिकारी /सहायक पंजीयक(बैंकिंग शाखा), कार्यालय आरसीएस, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. सहायक पंजीयक (आईटी), कार्यालय आरसीएस, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. श्री जनक लाल साहू निवासी एफ-2/78, सुंदर नगरी दिल्ली-110093
2. नोडल अधिकारी, आरटीआई अनुभाग, कार्यालय आरसीएस, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

(प्रदीप कुमार)

उप रजिस्ट्रार/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी